उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
संख्या-55/2020/565/52-1-2020-01(98)/2013टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 04 जून, 2020

संशोधन-आदेश

ब्लाक लेविल फैसिलिटेटरों के मानदेय की समर्पित धनराशि का पुन: आवंटन किये जाने विषयक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-42/2019/जी0आई0-54/बावन-1-2019-01(98)/2013, दिनांक 13.09.2019 एवं संशोधन आदेश संख्या-45/2019/1013/51-1-2019-01(98)/2013 दिनांक 24.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त संशोधन-आदेश दिनांक 24.09.2019 के प्रस्तर-2 में उल्लेख किया गया है कि शासनादेश संख्या- 42/2019/जी0आई0-54/बावन-1-2019-01(98)/2013 दिनांक 13.09.2019 के प्रस्तर-2 में सारणी के क्रमांक 1 व 2 के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के पत्रांक 42/अ0सं0क0नि0 /एम0एस0डी0पी0/ब्ला0ले0फै0/194/2019 दिनांक 06.05.2020 पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 13.09.2019 के प्रस्तर-2 में उल्लिखत सारणी के क्रमांक 1 व 2 के कॉलम 3 में अंकित धनराशि क्रमश: रू0 8,41,244.00 एवं रू0 11,22,000.00 को सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियो के निवर्तन पर रखते हुए उनके माध्यम से ब्लाक लेविल फैसिलिटेटरों की तैनाती के सत्यापनोपरान्त उन पर आने वाले व्यय हेतु उपयोग किये जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उपरोक्तानुसार उक्त शासनादेश-संख्या-42/2019/जी0आई0-54/बावन-1-2019-01(98) /2013, दिनांक 13.09.2019 एवं संशोधन आदेश -45/2020/1013/52-1-2020-01(98)/2013 दिनांक 24.09.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष निर्देश तथा शर्तें यथावत रहेंगे।

(जे0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-55/2020/565/52-1-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद) ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद) ।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
6- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
8- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
9- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

UO Gautam sir

http://shasanadesh.up.gov.in